

छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
:: मंत्रालय ::

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर


// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक /03/2012

क्रं.: एफ-9-7/तक.शि./42/2012, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से संबद्धता प्राप्त करने हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निरीक्षण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) एवं अनापत्ति शुल्क का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्रं.	कार्य का विवरण	प्रोसेसिंग फीस		अनापत्ति फीस	
		वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
1.	नवीन संस्था प्रारंभ करने हेतु				
i	बी.ई.	100000	100000	20000	20000
ii	बी.फार्मा.	100000	50000	15000	15000
iii	डी. फार्मा.	100000	50000	15000	15000
iv	डी. इंजी. (पोली)	100000	50000	—	15000
v	बी/डी. आर्क.	100000	50000	15000	15000
vi	एम.ई./एम.टेक.	100000	50000	25000	25000
vii	एम.फार्मा.	100000	50000	25000	25000
viii	एम.बी.ए.	100000	50000	25000	25000
ix	एम.सी.ए.	100000	50000	25000	25000
2.	नवीन पाठ्यक्रम	50000	20000प्रति पा.	15000	5000प्रति पा.
3.	क्षमता वृद्धि	50000	10000प्रति पा.	—	5000प्रति पा.
4.	बंद करना				
i	संस्था बंद करना	—	—	—	10000
ii	प्रोग्राम बंद करना	—	—	—	5000
iii	पाठ्यक्रम बंद करना	—	—	—	5000प्रति पा.
5.	नाम परिवर्तन	—	—	—	5000
6.	स्थान परिवर्तन	—	—	—	10000
7.	द्वितीय वर्ष (स्नातक/डिप्लोमा)	—	10000प्रति पा.	10000	5000प्रति पा.
8.	तृतीय वर्ष (स्नातक/डिप्लोमा)	—	10000प्रति पा.	10000	5000प्रति पा.
9.	चतुर्थ वर्ष (स्नातक)	—	10000प्रति पा.	10000	5000प्रति पा.
10.	पंचम वर्ष (स्नातक)	—	10000प्रति पा.	—	5000प्रति पा.
11.	द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर)	—	10000प्रति पा.	15000	20000प्रति पा.
12.	तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर)	—	10000प्रति पा.	15000	20000प्रति पा.
13.	महिला संस्था को सहशिक्षा में परिवर्तन करना	—	20000	—	10000

क्रमशः2



//2//

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर
ADL(Acad.)/AFRC
दिनांक
संचालक

उपरोक्त दरें अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी। प्रोसेसिंग शुल्क संचालक, तकनीकी शिक्षा, छ.ग. के नाम से संचालित बैंक खाते में चालान द्वारा जमा किये जायेंगे, जिससे निरीक्षण, प्रोसेसिंग आदि कार्यवाही में हुए व्यय का समायोजन किया जा सकेगा। तथा अनापत्ति शुल्क हेतु संचालक, तकनीकी शिक्षा, छ.ग. के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा किये जायेंगे। जिसे शासकीय मद में जमा किया जाएगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने पर कुल योग के समान फीस लगेगी।

स्वशासी संस्थाओं को अनापत्ति शुल्क जमा करने से छूट रहेगी।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन.डी. कुन्दानी)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र.: एफ-9-7/ तक.शि./42/2012

रायपुर, दिनांक 07/03/2012

प्रतिलिपि :- निम्नांकित -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, बैरन बाजार, रायपुर।
3. समस्त, स्वशासी एवं निजी तकनीकी संस्था, छ.ग.।
4. मास्टर फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग